उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-353(2) /2024/नौ-5-2024/001-Com.No.-1798739
लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2024

शुद्धिपत्र

शासनादेश संख्या-353/2024/नौ-5-2024/001-कम्प्यूटर संख्या-1798739, दिनांक 09.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर के पेयजल हेतु व्यवस्था योजना के अन्तर्गत जनपद-गोरखपुर के नगर निगम गोरखपुर में सम्मिलित नये वार्डों में पाइप लाइन विस्तार, नये गहरे नलकूप अधिष्ठापन एवं इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन से संबंधित कार्य से संबंधित परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि रूपये 3990.31 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपये 991.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

2- अवगत कराया जाना है कि उक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2024 द्वारा निर्गत प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 992.00 लाख के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश रूपये 991.00 लाख अंकित हो गया है।

3- अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2024 में अवमुक्त धनराशि 'रूपये 991.00 लाख' के स्थान पर **'992.00'** पढ़ा व समझा जाये।

4- उक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2024 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा व समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

संलग्नक-यथोपरि।

09.03.2024
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-353(3)/2024/नौ-5-2024/001-Com.No.- 1798739
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:
1- महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकारद्वितीय/प्रथम (लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर, जनपद-गोरखपुर।
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
09.03.2024
(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

ई-ऑफिस पत्रावली संख्या- 9-5002(002)/81/2024
संख्या- 353 /2024/नौ-5-2024/001-Com.No.-1798739

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गोरखपुर
जनपद-गोरखपुर।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के 'पेयजल हेतु व्यवस्था' योजना के अन्तर्गत जनपद-गोरखपुर के नगर निगम गोरखपुर में सम्मिलित नये वार्डों में पाइप लाइन विस्तार, नये गहरे नलकूप अधिष्ठापन एवं इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन से संबंधित कार्यों की परियोजना हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक अपने पत्र संख्या-324/न0आ0/जलकल/2023-24, दिनांक 05.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 'पेयजल हेतु व्यवस्था' योजना के अन्तर्गत जनपद-गोरखपुर के नगर निगम गोरखपुर में सम्मिलित नये वार्डों में पाइप लाइन विस्तार, नये गहरे नलकूप अधिष्ठापन एवं इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन से संबंधित कार्यों (सूची संलग्न) से संबंधित परियोजना हेतु कुल **रूपये 3990.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 991.00 लाख (रू0 नौ करोड़ इकयानवे लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(4) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

-2-

(10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्ले्ख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,92,00,000 (रुपये नौ करोड़ बयान्वे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215011010600 पेयजल हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-598-X-2023-24, दिनांक 09 मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
09.03.2024

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या- 353(1) /2024/ नौ-5-2024/001-Com.No.-1798739, तद् दिनांक।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
09.03.2024

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

शासनादेश संख्या- 353 /2024/नौ-5-2024/001-Com.No.-1798739, दिनांक 09.03.2024 का संलग्नक

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0सं0	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	नगर निगम गोरखपुर, जनपद–गोरखपुर	**वार्ड संख्या–3 रानीडीहा में पेयजलपूर्ति व्यवस्था–**		
		1–रानी डीहा में पाइप लाइन विस्तार का कार्य	323.25	80.00
		2–रानीडीहा में इण्डियामार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य।	8.99	2.00
		3–रानी डीहा में नये गहरे नलकूप अधिष्ठापन का कार्य	50.04	12.00
		वार्ड संख्या–06 खोराबार में पेयजलापूर्ति व्यवस्था		
		1–खोराबार में पाइप लाइन विस्तार का कार्य	269.77	67.00
		2–खोराबार में इण्डियामार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य	11.99	3.00
		3–खोराबार में नये गहरे नलकूप अधिष्ठापन का कार्य	50.04	12.00
		वार्ड संख्या–11 बड़गो में पेयजलापूर्ति व्यवस्था		
		1–बड़गों में इण्डियामार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य।	8.99	3.00
		2–बड़गों में नये गहरे नलकूप अधिष्ठापन का कार्य	100.08	25.00
		वार्ड संख्या–13 संझाई में पेयजलापूर्ति व्यवस्था		
		1–संझाई में पाइप लाइन विस्तार का कार्य	251.68	62.00
		2–संझाई में इण्डियामार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य	17.97	5.00
		3–संझाई में नये गहरे नलकूप अधिष्ठापन का कार्य	50.04	12.00
		वार्ड संख्या–30 गुलहरिया में पेयजलापूर्ति व्यवस्था		
		1–गुलहरिया में पाइप लाइन विस्तार का कार्य	355.99	88.00
		2–गुलहरिया में इण्डियामार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य	17.97	5.00
		3–गुलहरिया में नये गहरे नलकूप अधिष्ठापन का कार्य	100.08	25.00
		वार्ड संख्या–37 भरवलिया में पेयजलापूर्ति व्यवस्था		
		1–भरवलिया में पाइप लाइन विस्तार का कार्य	388.52	97.00
		2–भरवलिया में इण्डियामार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य	8.99	3.00
		3–भरवलिया में नये गहरे नलकूप अधिष्ठापन का कार्य	50.04	12.00
		वार्ड संख्या–39 गायघाट में पेयजलापूर्ति व्यवस्था		
		1–गायघाट में पाइप लाइन विस्तार का कार्य	317.14	80.00
		2–गायघाट में इण्डियामार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य	11.99	3.00
		3–गायघाट में नये गहरे नलकूप अधिष्ठापन का कार्य	50.04	12.00
		वार्ड संख्या–51 देवी प्रसाद नगर में पेयजलापूर्ति व्यवस्था		
		1–देवी प्रसाद नगर में पाइप लाइन विस्तार का कार्य	456.86	114.00
		2–देवी प्रसाद नगर में इण्डियामार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य	8.99	3.00
		3–देवी प्रसाद नगर में नये गहरे नलकूप अधिष्ठापन का कार्य	100.08	25.00
		वार्ड संख्या–14 राजेन्द्र नगर में पेयजलापूर्ति व्यवस्था–		
		1–रामलीला मैदान से मेन रोड तक पाइप लाइन विस्तार का कार्य	46.03	11.00
		2–बरगदवां शिव मंदिर से मीना देवी के मकान तक पाइप	23.06	5.00

		लाइन विस्तार का कार्य		
		3–राधश्याम चौधरी के मकान से दीपक के मकान तक पाइप लाइन विस्तार का कार्य	16.36	5.00
		वार्ड संख्या–16 दिग्विजय नगर में पेयजलापूर्ति व्यवस्था–		
		1–दिग्विजय नगर में जनप्रिय विहार कालोनी में पाइप लाइन बदलने का कार्य	172.97	44.00
		वार्ड संख्या–19 गोपलापुर में पेयजलापूर्ति व्यवस्था–		
		1–गोपलापुर में रामपुर नये गांव में पाइप लाइन बदलने का कार्य	247.25	61.00
		वार्ड संख्या–24 मत्स्येन्द्र नगर में पेयजलापूर्ति व्यवस्था–		
		1–मत्स्येन्द्र नगर में मोहल्ला मझवार टोला, यदुवंशी कालोनी और घोला टोला की विभिन्न गलियों में पाइप लाइन विस्तार का कार्य	154.65	38.00
		वार्ड संख्या–27 जटेपुर में पेयजलापूर्ति व्यवस्था–		
		1–जटेपुर डोमखाना में प्रवीन पासवान के मकान से मिठाई लाल हाता मोड़ तक एवं प्राचीन काली मंदिर से चित्रगुप्त लेन तक प्राचीन काली मंदिर से संगम स्वीट हाउस तक पाइप लाइन बदलने का कार्य	91.75	22.00
		वार्ड संख्या–38 कान्हा उपवन नगर में पेयजलापूर्ति व्यवस्था–		
		1–कान्हा उपवन नगर में गालन टोला मोहल्ला में मेन पम्प हाउस से बर्फखाना रोड तक पाइप लाइन बदलने का कार्य	39.34	9.00
		2–कान्हा उपवन नगर में समय माता मंदिर व भरद्वाजपुरम के विभिन्न गलियों एवं राजीव नगर कालोनी में ओझा जी के मकान से माधव शुक्ला के मकान से होते हुए परमेश्वर के मकान तक पाइप लाइन विस्तार का कार्य	51.41	12.00
		वार्ड संख्या–42 रसूलपुर में पेयजलापूर्ति व्यवस्था–		
		1–रामलीला मैदान से रसूलपुर चौराहा तक पाइप लाइन बदलने का कार्य	38.56	10.00
		वार्ड संख्या–48 धर्मशाला बाजार में पेयजलापूर्ति व्यवस्था–		
		1–धर्मशाला बाजार में मस्जिद से सुमेर सागर नाला तक पाइप लाइन बदलने का कार्य	22.63	6.00
		वार्ड संख्या–58 सूरजकुण्ड धाम नगर में पेयजलापूर्ति व्यवस्था–		
		1–सूरजकुण्ड धाम नगर में पाइप लाइन बदलने का कार्य	48.72	12.00
		वार्ड संख्या–68 महर्षि दधीचि नगर में पेयजलापूर्ति व्यवस्था–		
		1–महर्षि दधीचि नगर में मोहल्ला पिपरापुर में सुभाष के घर से दीन मोहम्मद के घर तक मोहल्ला मोहनलालपुर में उमेश यादव के मकान से लाल बहादुर यादव के मकान तक एवं श्रीवास्तव के मकान से नन्कू के मकान से होते हुए सिपाही के मकान तक पाइप लाइन विस्तार का कार्य	28.05	7.00
		योग	**3990.31**	**992.00**

09.05.2024

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-09/03/2024

प्रेषण संख्या:- 353
आवंटन आदेश संख्या:- 001-353-2024-9-5-2024-001-CN-1798739
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	गोरखपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	99200000 154800000	99200000 154800000
	योग	वर्तमान प्रगामी	99200000 154800000	99200000 154800000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ बानवे लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ अड़तालीस लाख

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-09/03/2024

प्रेषण संख्या:- 353
आवंटन आदेश संख्या:- 001-353-2024-9-5-2024-001-CN-1798739
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम
06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	गोरखपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	99100000 154700000	99100000 154700000
	योग	वर्तमान प्रगामी	99100000 154700000	99100000 154700000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ इकानवे लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ सैंतालीस लाख

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव